

810 मेगावाट डीसी./675 मेगावाट एसी क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन

चर्चा में क्यों?

6 सितंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना के कंपोनेंट-सी के अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किये जाने हेतु 810 मेगावाट (डी.सी)/675 मेगावाट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बंदि

- कृषि पंपों का सोलर्राईजेशन किये जाने से कृषकों को कृषि पंपों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बजिली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अतः सौर ऊर्जा की उपलब्धता के समय कृषि पंपों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मलि रही बजिली मलिती रहेगी, जसिसे कृषि पंप का संचालन होगा।
- वर्तमान में प्रदेश में 577 कृषि फीडर हैं, जसि पर 1,75,028 कृषि पंप स्थापति हैं। योजनांतर्गत उक्त 577 फीडरों को सोलर्राईज किये जाने हेतु 810 मेगावाट डी. सी. (675 मेगावाट एसी) क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना शासकीय भूमि एवं कृषि भूमि पर की जाएगी।
- इसके लिये कृषकों की कृषि भूमि को कृषकों की सहमतिसे 25 वर्षों की लीज पर लिया जाएगा। इसके लिये कृषकों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से भुगतान किया जाएगा, साथ ही उक्त लीज की राशि में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।